रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04052021-226832
CG-DL-E-04052021-226832

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 251] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 4, 2021/वैशाख 14, 1943
No. 251] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 4, 2021/VAISAKHA 14, 1943

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2021

सा.का.नि.317(अ).—निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केन्द्रीय सरकार, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 24 के साथ पठित औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 की 35) की धारा 99 की उप-धारा (1) और इसकी उप-धारा (2) के खण्ड (ण),(त) और (द) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, को कथित धारा 99 की उप-धारा (1) में यथा अपेक्षित, इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों के लिए अधिसूचित किया जाता है, और यह सूचना दी जाती है कि कथित प्रारूप अधिसूचना पर, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित इस प्रारूप की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध कराए जाने की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद, विचार किया जाएगा;

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हो, श्री संजीव नंदा, अवर सचिव, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कक्ष संख्या 17, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को अथवा ई-मेल–sanjeev.dom@nic.in पर और डा. आर.जी.मीना, उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कमरा नम्बर 506, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 अथवा ई-मेल-deputyclc-mole@gov.in पर भेजे जा सकते हैं। आपत्तियों और सुझावों को एक प्रपत्र में भेजा जाना चाहिए जिसमें कॉलम (i) में व्यक्ति अथवा संगठन के नाम और पते तथा कॉलम (ii) में उक्त अध्याय, नियम अथवा उप-नियम जिसे संशोधित करने का प्रस्ताव है और कॉलम (iii) में प्रतिस्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित संशोधित नियम अथवा उप-नियम और कॉलम (iv) में संशोधन के कारणों का उल्लेख होना चाहिए;

उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संगठन से 30 दिनों की अवधि के समाप्त होने से पहले प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. **लघु शीर्षक, विस्तार और प्रारम्भ–** (1) इन नियमों को औद्योगिक संबंध (केंद्रीय) वार्ताकारी यूनियन अथवा वार्ताकारी परिषद की मान्यता और ट्रेड यूनियनों के विवादों का न्यायनिर्णयन नियम, 2021 कहा जाए।

(2) इनका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

परिभाषाएं:-(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "संहिता" से औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) अभिप्रेत है;

(ख) "वार्ताकारी यूनियन" से धारा 14 की उप-धारा (2) अथवा उप-धारा (3) में संदर्भित एकल वार्ताकारी यूनियन अभिप्रेत है;

(ग) "धारा" से इस संहिता की धारा अभिप्रेत है;

(2) इन नियमों में यहां पर प्रयुक्त जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों को परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन संहिता में परिभाषित किया गया है इनका क्रमश: वहीं अर्थ होगा जो इस संहिता में दिया गया है।

3. औद्योगिक स्थापना के मामले **जिसमें धारा 14 की उप-धारा (1) के अंतर्गत औद्योगिक स्थापना में नियोजित कामगारों में नियोक्ता के साथ** वार्ता करने के लिए पंजीकृत ट्रेड यूनियन है**-** (1) कामगारों से संबंधित जिन मामलों पर धारा 14 की उप-धारा (1) के अंतर्गत औद्योगिक स्थापना के नियोक्ता के साथ वार्ताकारी यूनियन अथवा वार्ताकारी परिषद वार्ता करेगी उनका उल्लेख निम्नानुसार है, नामत:-

(i) कामगारों के ग्रेडों और वर्गों का श्रेणीकरण;

(ii) औद्योगिक स्थापना में लागू स्थायी आदेशों के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा पारित आदेश;

(iii) वेतन अवधि, महंगाई भत्ता, बोनस, वेतन वृद्धि, परम्परागत छूट या विशेषाधिकार, प्रतिपूरक तथा अन्य भत्तों सहित कामगारों का वेतन;

(iv) कामगारों के कार्य घंटे, उनके विश्राम दिवस, सप्ताह में कार्य दिवसों की संख्या, विश्राम अंतराल, पालियों की कार्यशीलता;

(v) वेतन सहित छुट्टी और अवकाश;

(vi) पदोन्नति एवं स्थानांतरण नीति और अनुशासनिक कार्य विधि;

(vii) कामगारों के लिए क्वार्टर आबंटन निधि;

(viii) सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संबंधी मानक;

(ix) सेवा की शर्तों और रोजगार के निबंधन से संबंधित अन्य विषय जो पूर्वोक्त खंडों में शामिल नहीं हैं; और

(x) औद्योगिक स्थापना के नियोक्ता तथा वार्ताकारी यूनियन या परिषद के बीच सहमत अन्य कोई विषय।

4. धारा 14 की उप-धारा 2 के अंतर्गत कामगारों की एक मात्र वार्ताकारी यूनियन के रूप में कामगारों की पंजीकृत एकल यूनियन को मान्यता देने का मापदंड- जहां पर किसी औद्योगिक स्थापना में केवल एक पंजीकृत यूनियन काम कर रही है जिसके औद्योगिक स्थापना में नियोजित कुल कामगारों के कम से कम तीस प्रतिशत सदस्य हैं तब ऐसे औद्योगिक स्थापना का नियोक्ता ऐसी ट्रेड यूनियन को कामगारों की एक मात्र वार्ताकारी यूनियन के रूप में मान्यता देगा।

5. धारा 14 की उप-धारा (3) और (4) के अंतर्गत औद्योगिक स्थापना में ट्रेड यूनियनों की सदस्यता के सत्यापन की रीति- (1)(क) औद्योगिक स्थापना का नियोक्ता औद्योगिक स्थापना में ट्रेड-यूनियनों की सदस्यता के सत्यापन के लिए एक सत्यापन अधिकारी (इस नियम में इसे इसके बाद सत्यापन अधिकारी के रूप में उल्लेख किया गया है) नियुक्त करेगा जो एक स्वतंत्र अधिकारी होगा और किसी भी ट्रेड यूनियन में उसका हित नहीं होगा जिसकी सदस्यता का सत्यापन किया जाना है।

यह उपबंध किया जाता है कि वार्ताकारी यूनियन या वार्ताकारी परिषद, जैसी भी स्थिति हो, के गठन की प्रक्रिया अनुशासन संहिता के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन की मौजूदा मान्यता अवधि की समय सीमा की समाप्ति के तीन महीने से पहले शुरू की जाएगी।

(ख) सत्यापन अधिकारी सदस्यता सत्यापन के कार्य की मात्रा के आधार पर अपनी सहायता के लिए अतिरिक्त सत्यापन अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है;

(ग) सत्यापन अधिकारी नियोक्ता द्वारा निर्धारित समय सीमा में औद्योगिक स्थापना में सदस्यता सत्यापन का कार्य करेगा;

(2) औद्योगिक स्थापना का नियोक्ता उप-नियम (1) के अंतर्गत ट्रेड यूनियन की सदस्यता के सत्यापन के संबंध में व्यय का वहन और व्यवस्था करेगा।

(3) (क) जो ट्रेड यूनियनें निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेंगी, वे पहले औद्योगिक स्थापना के नियोक्ता को कामगारों की वार्ताकार यूनियन की प्रास्थिति की स्वीकृति के लिए आवेदन करेंगी नामत:-

(i) ऐसी ट्रेड यूनियन के पास ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 अथवा औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) जैसी भी स्थिति हो, के अंतर्गत, वैध पंजीकरण होना चाहिए; और

(ii) ट्रेड यूनियन की सदस्यता केवल विशिष्ट औद्योगिक स्थापना तक सीमित होना चाहिए

(ख) ट्रेड यूनियन से मान्यता के आवेदन के साथ पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति, सदस्यों की सूची की प्रति, सदस्यता विवरण और ट्रेड यूनियन पंजीकार के पास जमा कराई गई नवीनतम वार्षिक विवरणी की प्रति और अन्य कोई संगत प्रलेख, लगाने होंगे जिसे ट्रेड यूनियन अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत करना चाहती है;

(4)(क) यदि संहिता के अंतर्गत वार्ताकारी यूनियन अथवा वार्ताकारी परिषद, जैसी भी स्थिति हो, गठित की गई है तो औद्योगिक स्थापना का नियोक्ता, वार्ताकारी यूनियन अथवा वार्ताकारी परिषद, जैसी भी स्थिति हो, के पदाधिकारी के कार्यकाल की समाप्ति से पहले पर्याप्त रूप से समय से पहले लेकिन यह अवधि तीन महीने से अधिक न हो, वार्ताकारी यूनियन अथवा वार्ताकारी परिषद, जैसी भी स्थिति हो, के पदाधिकारी के कार्यकाल की समाप्ति से पहले कार्रवाई शुरू करेगा;

(ख) ट्रेड यूनियनों की सदस्यता के सत्यापन के प्रयोजनार्थ तारीख की गणना औद्योगिक स्थापना के नियोक्ता द्वारा निर्धारित की जाएगी;

(ग) स्थापना का नियोक्ता ट्रेड यूनियनों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रलेखों और अभिलेखों को सत्यापन अधिकारी के पास भेजेगा;

(घ) प्रलेखों और अभिलेखों के प्राप्त होने पर सत्यापन अधिकारी ट्रेड यूनियन के पंजीकरण की प्रास्थिति और संबंधित मामलों को अभिनिश्चित करने के लिए ट्रेड यूनियन द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों या प्रलखों की जांच करेगा;

(ङ) सत्यापन अधिकारी औद्योगिक स्थापना के नियोक्ता और सभी प्रतिभागी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ गुप्त मतदान के माध्यम से ट्रेड यूनियनों की सदस्यता के सत्यापन की प्रक्रिया के बारे में निर्णय करने के लिए बैठक आयोजित करेगा,

(च) नियोक्ता औद्योगिक स्थापना की ट्रेड यूनियनों के साथ परस्पर सहमति से सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, ऑनलाइन प्लेटफार्म या इसी प्रकार की प्लेट फार्म पर चुनाव प्रक्रिया कराने के लिए इलैक्ट्रॉनिक प्रक्रिया का उपयोग कर सकता है।

6. गुप्त मतदान के माध्यम से ट्रेड यूनियनों की सदस्यता का सत्यापन–

(1) सत्यापन अधिकारी वास्तविक मतदान की तारीख से कम से कम 60 दिन पहले निम्नलिखित पर निर्णय करने के लिए औद्योगिक स्थापना में कार्यरत सभी पंजीकृत ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित करेगा

(क) मतदाता सूची का प्रकाशन;

(ख) मतदान की तारीख, समय, विधि, मतदान का स्थान;

(ग) मतगणना की तारीख, समय और गणना स्थल; और

(घ) गुप्त मत से संबंधित अन्य नीति

(2) सत्यापन अधिकारी बैठक के कार्यवृत्त को तैयार कराएगा और सभी प्रतिभागी ट्रेड यूनियनों से हस्ताक्षर कराएगा। सभी प्रतिभागी ट्रेड यूनियनों को इसी बैठक में निशान आबंटित किए जाएंगे। यदि तारीख, समय, मतदान की विधि, मतदान के स्थान, निशान के आबंटन, गणना की तारीख, समय और स्थान तथा इसी प्रकार के विषयों पर बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तब सत्यापन अधिकारी का निर्णय और वह ऐसे गुप्त मतदान की समय सूची, कार्यक्रम कार्य विधि को प्रकाशित करेगा;

(3) सभी कामगार, जिनके नाम गणना की तारीख में औद्योगिक स्थापना के मस्टर रोल पर लिखे गए हैं, अपना वोट देने के लिए पात्र होंगे;

(4) मतदाता सूची उप नियम (3) में सदंर्भित मस्टर रोल पर लिखे गए कामगारों के नामों के आधार पर औद्योगिक स्थापना के नियोक्ता द्वारा तैयार की जाएगी और मतदाता सूची में कामगार का नाम, पिता का नाम, पदनाम, विशिष्ट पहचान संख्या (यूएएन) यदि कोई है, और कामगार की तैनाती का स्थान का उल्लेख होगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन नियोक्ता द्वारा सत्यापन अधिकारी का अनुमोदन लेने के पश्चात किया जाएगा और उसे औद्योगिक स्थापना के प्रवेश द्वार पर नोटिस बोर्ड और वेबसाइट, यदि है तो, पर प्रदर्शित किया जाएगा। इस मतदाता सूची की एक प्रति प्रतिभागी ट्रेड यूनियनों को दस्ती द्वारा या पंजीकृत डाक द्वारा अथवा इलैक्ट्रॉनिक साधन के द्वारा भेजी जाएगी;

(5) सत्यापन अधिकारी अंतिम रूप दिए जाने के दो दिन के अंदर प्रतिभागी ट्रेड यूनियनों के नाम और उनको आबंटित निशान औद्योगिक स्थापना के प्रवेश द्वार पर नोटिस बोर्ड और वेबसाइट, यदि है तो, पर प्रदर्शित करेगा;

(6) मतदान और वोटों की गिनती सत्यापन अधिकारी के पर्यवेक्षण में सत्यापन अधिकारी द्वारा निर्धारित तारीख, समय और स्थान पर की जाएगी और गिनती के दौरान सभी प्रतिभागी ट्रेड यूनियनों के एजेंटों को उपस्थित रहने की अनुमति होगी;

(7) वोटों की अंतिम गिनती होने के बाद सत्यापन अधिकारी द्वारा परिणाम घोषित किया जाएगा। परिणाम सीट में चुनाव में सभी प्रतिभागी ट्रेड यूनियनों के नामों, डाले गए वोटों की कुल संख्या और प्रत्येक ट्रेड यूनियन, जिसने चुनाव में भाग लिया है, के पक्ष में डाले गए वोटों की संख्या का उल्लेख होगा:-

7. नियोक्ता को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना – सत्यापन अधिकारी औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता को ट्रेड यूनियनों की सदस्यता के सत्यापन के निष्कर्षों के साथ सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

8. वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद के घटक के रूप में ट्रेड यूनियन को मान्यता प्रदान करना– सत्यापन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता ट्रेड यूनियन को संहिता की धारा 14 की उप धारा 2 या धारा 14 की उप धारा 3 या धारा 14 की उप धारा 4, जैसा भी मामला हो, के प्रावधानों के अनुसार वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद के घटक के रूप में प्रदान की गई मान्यता तीन वर्षों के लिए अथवा जो वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद के घटक के रूप में मान्यता प्रदान किए जाने अथवा वार्ताकार परिषद का गठन किए जाने अथवा ऐसी आगामी किसी अवधि तक, कुल 5 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, जैसाकि नियोक्ता और वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद मान्यता, जैसा भी मामला हो, आपस में निर्णय करें, वैध होगी ।

यह उपबंध किया जाता है कि वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद का कार्यकाल गुप्त मतदान कराने से पहले निर्धारित किया जाएगा।

9. धारा 14 की उप-धारा (7) के अंतर्गत किसी वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषदों के घटकों को औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ - किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में, जहां एकल वार्ताकार संघ या वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद है, जैसा भी मामला हो, ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता एकल वार्ताकार संघ, वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद, जैसा भी मामला हो, को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेंगे, अर्थात:-

(i) वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद के घटकों, जैसा भी मामला हो, की गतिविधियों से संबंधित सूचना प्रदर्शित करने के प्रयोजनार्थ नोटिस बोर्ड;

(ii) अनुसूची के अनुसार वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद के घटकों, जैसा भी मामला हो, द्वारा चर्चा करने हेतु आयोजन स्थल और अपेक्षित सुविधाएं एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता तथा वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद के घटकों, जैसा भी मामला हो, के बीच समझौता करने हेतु कार्यसूची;

(iii) वार्ताकार संघ के सदस्यों या वार्ताकार परिषद के घटकों, जैसा भी मामला हो, के बीच चर्चा के लिए आयोजन स्थल और आवश्यक सुविधाएं;

(iv) कामगारों की कामकाजी परिस्थितियों से संबंधित मामलों का पता लगाने के प्रयोजनार्थ औद्योगिक प्रतिष्ठान में वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद के घटकों, जैसा भी मामला हो, के पदाधिकारियों के प्रवेश की सुविधा,

(v) नियोक्ता को कामगार की लिखित सहमति के आधार पर ट्रेड यूनियनों के सदस्यों के अंशदान की कटौती करना;

(vi) जब पदाधिकारी नियोक्ता और ऐसे पदाधिकारियों के बीच सहमत सूची के अनुसार नियोक्ता के साथ बैठकें आयोजित या चर्चा करते हैं, तब वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद के घटकों, जैसा भी मामला हो, के नियोजित पदाधिकारियों का काम पर मान्य किया जाना; और

(vii) औद्योगिक प्रतिष्ठान, जिसमें तीन सौ या उससे अधिक कामगार हैं, के नियोक्ता वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद के घटकों, जैसा भी मामला हो, को उपयुक्त कार्यालय स्थल के साथ आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा।

10. धारा 22 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिकरण के समक्ष विवाद के अधिनिर्णयन के लिए आवेदन करने की पद्धति - जहां निम्नलिखित के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है -

(क) किसी एक ट्रेड यूनियन या अन्य के बीच; अथवा

(ख) किसी एक या एक से अधिक कामगारों के बीच, जो ट्रेड यूनियनों के सदस्य हैं और ट्रेड यूनियन के बीच पंजीकरण, प्रशासन अथवा प्रबंधन अथवा ट्रेड यूनियन के पद धारकों के चुनाव के संबंध में; अथवा

(ग) एक या अधिक कामगार जो ट्रेड यूनियन के सदस्य के रूप में नामांकन से वंचित हैं; अथवा

(घ) जहां विवाद ट्रेड यूनियन के संबंध में है, जो ट्रेड यूनियनों का संघ है और ट्रेड यूनियन द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी पद धारक को प्राधिकृत किया गया हो,

तो प्रभावित व्यक्ति विवाद उत्पन्न होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर संबंधित न्यायाधिकरण के समक्ष इलेक्ट्रानिक रूप से या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से **फॉर्म-क** में आवेदन प्रस्तुत करेगा।

फॉर्म-क

(नियम 10 देखें)

औद्योगिक न्याधिकरण -- के समक्ष (नाम और स्थान) जहां

क आवेदक(कों) का नाम और पता

बनाम

ख विपक्षी पक्ष(क्षों) का नाम और पता

के बीच उक्त विषय (विवाद के विशिष्ट मामले के संबंध में विवरण निर्दिष्ट किया जा सकता है) पर विवाद उत्पन्न होता हैजो औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 22 की उप-धारा (1) के तहत विवाद से संबंधित है.

आवेदक अधिनिर्णयन के लिए आवेदन को तत्काल स्वीकार करने और उक्त मामले में उचित निर्णय लेने की प्रार्थना करता/करते हैं।

विवाद उठाने वाले कामगार(रों) या ट्रेड यूनियन

के अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

स्थानः ....

तिथि: ....

[फा. सं. जैड-20025/26/2015-एलआरसी]

आर.के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2021

G.S.R. 317(E).—The following draft rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 99, and clauses (o), (p) and (r) of sub-section (2) thereof, of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) read with section 24 of the General Clauses Act, 1897(10 of 1897), are hereby notified, as required by sub-section (1) of said section 99, for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft notification will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri Sanjeev Nanda, Under Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment, Room No 17, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001 or by e-mail – sanjeev.dom@nic.in and Dr. R.G. Meena, Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Ministry of Labour and Employment, Room No. 506, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001 or by email – deputyclc-mole@gov.in. The objections and suggestions should be sent in a proforma containing columns (i) specifying the name and address of the person or organization and column (ii) specifying the Chapter, rule or sub-rule which is proposed to be modified and column (iii) specifying the revised rule or sub-rule proposed to be substituted and column (iv) reasons therefor;

Objections and suggestions, which may be received from any person or organization with respect to the said draft notification before expiry of the period specified above, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title, extent and commencement.- (1) These Rules may be called the Industrial Relations (Central) Recognition of Negotiating Union or Negotiating Council and Adjudication of Disputes of Trade Unions Rules, 2021.

(2) They extend to whole of India.

(3) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Definitions. – (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Code" means the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020);

(b) "Negotiating Union" means a sole negotiating union referred to in sub-section (2) or sub-section (3) of section 14;

(c) "Section" means the section of the Code;

(2) The words or expressions used in these rules which are not defined therein, but defined in the Code shall have their respective meaning as assigned to them in the Code.

3. Matters in an industrial establishment having registered Trade Union for negotiation **with employer for the workers employed in the industrial establishment under sub-section (1) of section 14.-** (1) The matters pertaining to workers which the negotiating union or negotiating council shall negotiate with the employer of the industrial establishment under sub-section (1) of section 14 are specified, as below, namely :-

(i) classification of grades and categories of workers;

(ii) order passed by an employer under the standing orders applicable in the industrial establishment;

(iii) wages of the workers including their wage period, dearness allowance, bonus, increment, customary concession or privileges, compensatory and other allowances;

(iv) hours of work of the workers their rest days, number of working days in a week, rest intervals, working of shifts;

(v) leave with wages and holidays;

(vi) promotion and transfer policy and disciplinary procedures;

(vii) quarter allotment policy for workers;

(viii) safety, health and working conditions related standards;

(ix) such other matter pertaining to conditions of service, terms of employment which are not covered in the foregoing clauses; and

(x) any other matter which is agreed between employer of the industrial establishment and negotiating union or council.

4. Criteria for recognizing a single registered Trade Union of workers as sole negotiating Union of workers under sub-section (2) of section 14.- Where there is only one registered Trade Union operating in an industrial establishment having its members not less than thirty percent of the total workers employed in the industrial establishment, then, the employer of such industrial establishment shall recognize such Trade Union as sole negotiating union of the workers.

5. Manner of verification of membership of Trade Unions in an industrial establishment under sub-sections (3) and (4) of section 14.-

(1)(a) The employer of the industrial establishment shall appoint a verification officer (hereinafter in this rule, referred to as verification officer) for the purpose of verification of membership of the Trade Unions in the industrial establishment who shall be an independent officer and shall not have any interest with any of the Trade Union, whose membership verification is to be carried out;

Provided that the process for constitution of the negotiating union or the negotiating council, as the case may be, shall commence three months before the expiry of the tenure of the existing recognition period of the trade unions recognised by the employer under the Code of Discipline.

(b) The verification officer can appoint additional verification officers to assist him-depending upon the quantum of work of membership verification;

(c) The verification officer shall carry out the work of membership verification in the industrial establishment in time bound manner as determined by the employer;

(2) The employer of the industrial establishment shall bear all expenses and make arrangements in connection with the verification of membership of Trade Union under sub-rule (1).

(3) (a) The Trade Unions which satisfy the following conditions shall first submit an application to the employer of the industrial establishment to accord status of negotiating union of the workers, namely:-

(i) such Trade Union has a valid registration under the Trade Unions Act, 1926 and continuing as such or has the registration under the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020), as the case may be; and

(ii) the membership of the Trade Union be confined to the particular industrial establishment only.

(b) The Application for recognition made by Trade Union shall be accompanied with the copy of the registration certificate, copy of list of members, details of the membership subscription and copy of latest annual return submitted to Registrar of Trade Unions and any other relevant document which the Trade Union wishes to submit in support of its claim;

(4) (a) In case of negotiating union or council, as the case may be, has been constituted under the Code, the employer of the industrial establishment shall initiate action before expiry of the tenure of incumbent negotiating union or negotiating council, as the case may be, sufficiently in advance but not later than three months before the expiry of the tenure of incumbent negotiating union or negotiating council, as the case may be;

(b) The date of reckoning shall be fixed by the employer of the industrial establishment for the purpose of verification of membership of the Trade Unions;

(c) The employer of the establishment shall forward the documents and records submitted by Trade Unions, to the verification officer.

(d) On receipt of the documents and records, the verification officer shall scrutinize the records or documents submitted by the Trade Union to ascertain the status of registration of Trade Union and related matters;

(e) The verification officer shall hold meeting with representative of employer of industrial establishment and all participating Trade Unions to decide about the process of verification of the membership of Trade Unions through secret ballot.

(f) The employer may, with the mutual agreement with the Trade Unions of the industrial establishment, deploy an electronic process of conducting the election process over an information technology application, online platform or like other platform.

6. Verification of membership of Trade Unions through secret ballot -

(1) The verification officer shall convene meeting of representatives of all registered Trade Unions functioning in the industrial establishment at least sixty days before the date of actual voting, to decide

(a) publication of voters list;

(b) date, time, mode of voting, place of voting;

(c) date, time and place of counting; and

(d) other modalities relating to secret ballot.

(2) The verification officer shall cause the minutes of the meeting to be prepared and signed by all participating Trade Unions. All participating Trade Unions shall be allotted symbols in the same meeting. If no decision could be taken regarding date, time, mode of voting, place of voting, allotment of symbols, date, time and place of counting and like other matters in the meeting, then, the decision of the verification officer shall be final and he shall publish the schedule, programme and procedure of such secret ballot;

(3) All workers whose names are borne on the muster roll of the industrial establishment on the date of reckoning, shall be eligible to cast their vote;

(4) The voter list shall be prepared by the employer of the industrial establishment on the basis of names of the workers borne on the muster roll referred to in sub-rule (3) and the voter list shall contain the name, father's name, designation, Universal Account Number (UAN), if any, and place of posting of the worker. The final voter list shall be published by the employer after obtaining the approval of verification officer and shall be displayed at notice board at the main entrance and website, if any, of the industrial establishment. A copy of such voters list shall also be sent to the participating Trade Unions by hand or by registered post or by electronic mode.

(5) The verification officer shall display the name of the participating Trade Unions with the symbol allotted to them on the notice board at the main entrance and website, if any, of the industrial establishment within two days of finalization.

(6) The voting and counting of votes will be held on the date, time and place fixed by the verification officer under the supervision of verification officer and during the counting, agents of all participating Trade Unions shall be allowed to remain present.

(7) After final counting of votes, the result shall be declared by the verification officer. The result sheet shall contain the name of all Trade Unions participated in election, total number of votes polled and the number of votes cast in favour of each of the Trade Union which participated in the election.

7. Verification report to the employer - The verification officer shall submit verification report with results of verification of membership of the Trade Unions to the employer of industrial establishment.

8. Recognition of Trade Union as negotiating union or constituents of negotiation council - On the basis of verification report submitted by verification officer, the employer of the industrial establishment shall grant recognition to Trade Union as a negotiating union or constituents of negotiating council as per provisions of sub-section 2 of section 14 or sub-section 3 of section 14 or sub-section 4 of section 14 of the Code, as the case may be, which shall be valid for three years from the date of recognition of negotiating union or constitution of negotiating council or such further period not exceeding five years, in total, as may be mutually decided by the employer and the negotiating union or negotiating council, as the case may be:

Provided that the tenure of the negotiating union and the negotiating council shall be decided prior to holding of secret ballot.

9. Facilities to be provided by industrial establishment to a negotiating union or negotiating councils under sub-section (7) of section 14.- In an industrial establishment, where there is a negotiating union or negotiating council, as the case may be, the employer of such industrial establishment shall provide the following facilities to the negotiating union or negotiating council, as the case may be, namely:-

(i) notice board for the purpose of displaying the information relating to activities of negotiating union or negotiating council, as the case may be;

(ii) venue and necessary facilities for holding discussions by the negotiating union or negotiating council, as the case may be, as per schedule and agenda to be settled between employer of the industrial establishment and the negotiating union or constituents of negotiating council, as the case may be;

(iii) venue and necessary facilities for holding discussions amongst the members of the negotiating union or constituents of negotiating council, as the case may be;

(iv) facility for entrance of the office bearers of the negotiating union or constituents of negotiating council, as the case may be, in the industrial establishment for the purposes of ascertaining the matters which are relating to working conditions of the workers;

(v) employer to deduct subscription of the members of the Trade Unions on the basis of the written consent of the worker;

(vi) treating on duty of the employed office bearers of the negotiating union or constituents of negotiating council, as the case may be, when the office bearers are holding meetings or discussing with the employer as per agreed schedule between employer and such office bearers; and

(vii) employer of an industrial establishment, having three hundred or more workers, shall provide suitable office accommodation with necessary facilities to the negotiating union or negotiating council, as the case may be.

10. Manner of making application for adjudication of dispute before Tribunal under sub section(1) of section 22 – Where any dispute arises between -

(a) one Trade Union and another; or

(b) one or more workers who are members of Trade Union and the Trade Union regarding registration, administration or management or election of office bearers of the Trade Union; or

(c) one or more workers who are refused admission as members and the Trade Union; or

(d) where the dispute is in respect of a Trade Union which is a federation of Trade Unions and office bearer authorized in this behalf by the Trade Union,

then, the aggrieved person may make application to the Tribunal having jurisdiction, in **Form A** within a period of one year from the date on which the dispute arises, electronically or by registered post or by speed post or in person.

FORM - A

(See Rule 10)

Before the Industrial Tribunal -- (Name and Place) where dispute arises between

(A) Name and Address and Applicant(s)

Versus

(B) Name and Address of Opposite party(ies)

Over the matter (statement regarding specific issues of dispute may be mentioned) which are connected with relevant to the dispute under sub section(1) of Section 22 of Industrial Relation Code, 2020.

The applicant(s) prays that instant application may please be admitted for adjudication and request to pass appropriate award in the matter.

Name and signature of the worker(s) or

Officer of Trade union raising the dispute

Place : …………………………

Date …………………………..

[F.No. Z-20025/26/2015-LRC]

R.K. GUPTA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.05.04 17:48:19 +05'30'